कार्यालय उप श्रमायुक्त , बेगम ब्रिज रोड मेरठ ।

अभिरूचि की अभिव्यक्तिः साइकिल सहायता योजना में सहभागिता करने हेतु निर्धारित शर्तें

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कामगारों के हितार्थ **"साइकिल सहायता योजना"** के अन्तर्गत साईकिलों का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप एवं शर्तें निम्नवत् है–

जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा एटलस, हीरो, ए–वन एवं हरक्यूलिस ब्रांड चिन्हित किये गये है। क्रय मेले में आने हेतु इच्छुक विक्रेता निर्धारित प्रारूप पर साइकिल की ब्रांडवार न्यूनतम विक्रय मूल्य **समस्त करों सहित** निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करें। नियम एवं शर्ते निम्नवत् है–-

नियम एवं शर्ते

1–विक्रेता प्रतिष्ठान, वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है, और टिन/पैन नंबरधारी हो ।

2–डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर संबंधित कम्पनी से अधिकृत हो इस संबंध में प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है।

3–डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर प्रतिवर्ष पॉच लाख या पॉच लाख से अधिक हो, जिसके समर्थन में बैलेंसशीट अथवा इन्कमटैक्स रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

4–साईकिलों की आपूर्ति निर्दिष्ट ब्रांड विशिष्टताओं के साथ करना अनिवार्य होगा।

5–साईकिलों की गुणवत्ता का परीक्षण जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें यदि आपूर्ति गुणवत्तानुरूप नहीं पायी गयी तो ऐसे विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

6–यदि विक्रेता द्वारा न्यूनतम मूल्य प्रस्तुत करने के समय उल्लेखित किये गये विवरण असत्य पाया जाता है तो उसका आवेदन निरस्त समझा जायेगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकती है।

7–साईकिल की आपूर्ति संबंधित श्रमिक को हो जाने के उपरान्त उक्त की पुष्टि कर भुगतान संबंधित श्रमिक के माध्यम से किया जायेगा।

8–सफल पाये गये डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर से निम्न शर्तों के अधीन एक अनुबन्ध 100रू0 के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा–

(क) साईकिल की आपूर्ति निर्धारित स्थान पर विक्रेता द्वारा स्वयं के खर्च पर की जायेगी।

(ख) विक्रय की गयी साईकिलों के संबंध में विक्रेता द्वारा एक क्रेता रजिस्टर तैयार करेगा। जो कम से कम तीन साल तक अनुरक्षित रखेगा।

(ग) साईकिल की आपूर्ति निर्धारित किए गए मानक के अनुसार की जायेगी।

(घ) जितनी साईकिलों की आपूर्ति एक निश्चित अवधि में विक्रेता कर रहा है उतनी साईकिलों की उस अवधि में क्रय एवं भण्डारण उसके भण्डार अभिलेखों में दर्ज होनी चाहिए। किसी भी दशा में वह साईकिल उसके द्वारा पुनः वापस क्रय नहीं होनी चाहिए।

T.O.

DLC